

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक ५५७ / जे.डी.ए./ शमन मानचित्र-(2021-2022)

दिनांक 23.09.2021

साई नाथ इन्फ्रासिटी एल.एल.पी

द्वारा डायरेक्टर श्री देवेन्द्र कुमार रावत

निवासी-1883/1, शिवाजी नगर, झाँसी।

आप द्वारा प्रस्तुत स्थल मौजा-मैरी, झाँसी के आराजी संख्या-216मि., 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 एवं 226 पर वाद पत्रावली संख्या-64/उपाध्यक्ष/जे.डी.ए./2021-22 का शमन तलपट मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ शमन मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। स्वीकृति मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा एवं किसी भी प्रकार के बड़े हुये शुल्क की मांग प्राधिकरण द्वारा की जाती है तो उसे जमा कराना होगा अन्यथा तलपट मानचित्र निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
5. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा।
8. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
9. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
10. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
11. प्रस्तुत विभिन्न सरकारी विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे-अग्नि शमन सुरक्षा, जल संस्थान, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, एन.एच.ए.आई, नगर निगम एवं तहसील द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। रेन वाटर हार्सेविंग उचित क्षमता का प्रमाणित कर लगाना होगा। पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. प्राधिकरण से तलपट मानचित्र का सम्पूर्ण विकास हो जाने के उपरान्त पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
13. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-
 - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
 - समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
14. जिन विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है उन्हें प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तथा उसमें अंकित शर्तों का पालन करना होगा।
14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
15. विभिन्न एवं शुल्कों के मद में बन्धक रखे भूखण्डों के सम्बन्ध में झाँसी विकास प्राधिकरण व विकासकर्ता के मध्य हुये एग्रीमेन्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भूखण्ड से संलग्न सरकारी सम्पत्ति यथा चक्रोड, नाली व अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर बिना सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति के किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
17. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियंताको प्रेषित।

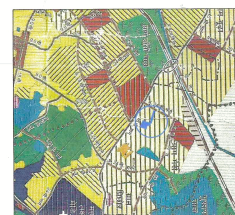
सचिव 23.9.21
झाँसी विकास प्राधिकरण

21921 वा. जी. (आचार्य/प्रतिपादक)

21.09
नगर नियोजक
झांसी विकास प्राधिकरण

- सी.एस.आर. का भीतर से विकास दिशात्मक होना।
- सी.एस.आर. को वास्तविक रूप में लागू करने के लिए
- सी.एस.आर. को वास्तविक रूप में लागू करने के लिए

2-Map Conveys no right to or evidence for title/ownership.



SITE SUPERIMPOSED
ON MASTER PLAN
NOT TO SCALE

LEGEND :		
S. No.	SYMBOL	DESCRIPTION
1.	M.H.	MANHOLE
2.		SEWER LINE
3.		110 D HOPE RISING MAIN FROM SEWAGE PUMPING STATION TO MUNICIPAL SEWER LINE
4.		SURFACE DRAIN
5.		DOMESTIC WATER SUPPLY PIPE LINE
6.		RISING MAIN LINE
7.		MUNICIPAL WATER SUPPLY PIPE LINE
8.		RECYCLED WATER SUPPLY PIPE LINE
9.	110 D	INDICATES DOMESTIC WATER SUPPLY PIPE LINE ϕ 110
10.	90 D FM	INDICATES RISING MAIN DIA. ϕ 90
11.	90 D M	INDICATES MUNICIPAL WATER SUPPLY PIPE LINE DIA ϕ 90
12.	110 D R	INDICATES RECYCLED WATER SUPPLY PIPE LINE DIA ϕ 110
13.		TUBEWELL
14.		DESLTING TANK
15.		RECHARGE PIT
16.		GARDEN HYDRANT
17.		DOMESTIC WATER SERVICE CONNECTION WITH ISOLATING VALVE
18.		ISOLATING VALVE
19.		110 X 600 1000 I.R.A.R. SUB STATION (COMPACT TYPE)
20.		SMALL TREES
21.		ELECTRIC POLE

PLOT AREA CALCULATION -					
S.NO	DESCRIPTION	SIZE	NUMBER	AREA / UNIT (SQ.M)	TOTAL AREA (PLOT)
1	PLOT NO. 1	15.00 x 24.00	01	360.00	360.00
2	PLOT NO. 2 to 10	12.00 x 24.00	08	288.00	2304.00
3	PLOT NO. 11	16.00 x 24.00	01	384.72	384.72
4	PLOT NO. 12	----	01	164.06	164.06
5	PLOT NO. 13 to 26	7.50 x 15.00	14	112.50	1575.00
6	PLOT NO. 27	14.50 x 15.00	01	217.50	217.50
7	PLOT NO. 28 to 40	7.50 x 15.00	13	112.50	1462.50
8	PLOT NO. 41	----	01	207.19	207.19
9	PLOT NO. 42	----	01	178.26	178.26
10	PLOT NO. 43 to 70	7.50 x 15.00	28	112.50	3150.00
11	PLOT NO. 71	----	01	208.31	208.31
NET TOTAL			73		12499.54

LAND AREA DESCRIPTION -			PARK AREA CALCULATION -		
S.NO	KHARIDA NO	AREA(M. M)	S.NO	DESCRIPTION	AREA
1	215(m)	2430.00	1	PARK 1	486.00
2	218	3420.00	2	PARK 2	950.48
3	219	400.00	3	PARK 3	801.80
4	220	2350.00	4	PARK 4	1037.17
5	221	1700.00			
6	222	1060.00			
7	223	1050.00			
8	224	1130.00			
9	225	4620.00			
10	226	2060.00			
NET TOTAL		20970.00	NET TOTAL		3380.83

AREA DETAIL -		
	AREA DETAIL SQM	%
TOTAL AREA OF LAND	20,570.00sq.m (5.08 Acres)	100%
AREA UNDER PLOTS	10,499.54sqm	51.04%
AREA UNDER PARKS	3,280.83sqm	15.95%
AREA UNDER DUMPING YARDS	15.00sqm	0.07%
AREA UNDER ROADS	6,774.63sqm	32.94%
POPULATION	71 X 5 = 355	

NOTE: SINGLE UNIT HOUSES WILL BE CONSTRUCTION IN EVERY 10 TRS



KEY PLAN
NOT TO SCALE

CONTOUR PLAN
NOT TO SCALE

SAZRA PLAN
NOT TO SCALE

Project :
PROPOSED LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL
TOWNSHIP AT KHASRA NO. - 216m., 218,219,220,
221,222,223,224,225 &226 , VILLAGE- MARI,
KANPUR-GWALIOR BYPASS ROAD, JHANSI(U.P.)

Owner : SAINATH INFRACITY LLP
PHASE-3

Title : LAYOUT PLAN

Drawing Released For :

☐ APPROVAL

☐ ADVANCE COPY

☒ SUBMISSION

☐ CONSTRUCTION

Scale : 1:500

Design By : Ar. Vijaykishore Verma

Ckd By : Ar. Nabh Sharma

DIRECTION :



Date : 04 August 2021

Architect's Sign : 

Ar. Nabh Sharma
CA/2015/70508
Mob. 9889405025

Owner Sign : 
Sainath Infrecity LLP
DIRECTOR Designated Partner
DEVENDRA KUMAR RAWAT

Architects :

DESIGNERS

ARCHITECTS, PLANNERS,
INTERIOR DESIGNERS
AND VALUERS

CONTACT NO- Mob - 9894063252 9895315441
Mail - nishubhargava72@gmail.com